राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं.एफ.**2(8)**डीओपी/ए- **II/88** जयपुर, दिनांकः 31.07.2024

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) (संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-I का संशोधन.- राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967 से संलग्न अनुसूची-I में, शीर्ष ग्रुप IV के अधीन, क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ संख्यांक 5 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

31/7/24

(दिनेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

41/2024